उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

शनिवार, 03 फाल्गुन, शक संवत्, 1946

(दिनांक : 22 फरवरी, 2025)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. निधन के निदेश।
2. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
3. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
4. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
5. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
6. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
7. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदानः-

(1) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1069406 हजार (रूपये एक सौ छः करोड़ चौरानवे लाख छः हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(2) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03 **मंत्रिपरिषद** के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1114200 हजार (रूपये एक सौ ग्यारह करोड़ बयालीस लाख मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(3) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 5217672 हजार (रूपये पांच सौ इक्कीस करोड़ छिहत्तर लाख बहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(4) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 25224266 हजार (रूपये दो हजार पांच सौ बाईस करोड़ बयालीस लाख छियासठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(क)**)

(5) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08 आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 458261 हजार (रूपये पैंतालीस करोड़ बयासी लाख ईक्सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(क)**)

(6) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-09 लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 339303 हजार (रूपये तैंतीस करोड़ तिरानवे लाख तीन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(7) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 30037030 हजार (रूपये तीन हजार तीन करोड़ सत्तर लाख तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(क)**)

(8) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 4064666 हजार (रूपये चार सौ छः करोड़ छियालीस लाख छियासठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(क)**)

(9) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 16597139 हजार (रूपये एक हजार छः सौ उनसठ करोड़ ईकहत्तर लाख उन्तालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(क)**)

(10) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 5150797 हजार (रूपये पांच सौ पन्द्रह करोड़ सात लाख सतानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(क)**)

(11) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24 परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 3969435 हजार (रूपये तीन सौ छियानवे करोड़ चौरानवे लाख पैंतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(क)**)

(12) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 25559311 हजार (रूपये दो हजार पांच सौ पचपन करोड़ तिरानवे लाख ग्यारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(क)**)

(13) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 8214196 हजार (रूपये आठ सौ इक्कीस करोड़ इकतालीस लाख छियानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(क)**)

8. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

9. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करेंगे।

10. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2025 पर विचार किया जाय।

11. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2025 पारित किया जाय।

12. **नियम-54 की निम्नलिखित सूचनाओं का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः-**

1. काज़ी मौहम्मद निज़ामुद्दीन, "विधान सभा क्षेत्र मंगलौर, झबरेड़ा, जनपद-हरिद्वार एवं विधान सभा क्षेत्र जसपुर, जनपद-उधमसिंह नगर के जर्जर स्कूल भवनों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण संबंधी।"

2. काज़ी मौहम्मद निज़ामुद्दीन, "जनपद हरिद्वार में गंगनहर के ऊपर बने क्षतिग्रस्त पुलों को पुनः बनाये जाने के संबंध में।"

3. श्री दलीप सिंह रावत, "वर्तमान वन अधिनियम में विभिन्न प्रकार की विसंगतियों को दूर करने के लिये वन अधिनियम में शिथिलता प्रदान करने हेतु वन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।"

4. श्री प्रदीप बत्रा "जनपद हरिद्वार के मुख्य मार्ग में सोलानी नदी पर बने क्षतिग्रस्त पुल का पुनः निर्माण कराये जाने संबंधी।"

13. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

14. "जनपद देहरादून के रेसकोर्स स्थित विधायक निवास एवं अन्य कई कालोनियों में बिना अनुमति के गेट लगाकर मार्ग अवरुद्ध किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में", श्री प्रीतम सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2025 को दी गयी सूचना पर माननीय आवास मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

15. "जनपद देहरादून के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र के कालसी तहसील के अन्तर्गत निर्माणाधीन लखवाड़ बांध परियोजना से प्रभावित किसानों की अधिग्रहित होने वाली भूमि के प्रतिकर की दरें जनपद टिहरी गढ़वाल के नैनबाग, धनोल्टी वे देहरादून के विकास नगर तहसील के समान किये जाने का शासनादेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में", श्री बृजभूषण गैरोला, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2025 को दी गयी सूचना पर माननीय सिंचाई एवं माननीय राजस्व मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 21 फरवरी, 2025

(हिम चन्द्र पन्त)
उप सचिव (लेखा),
कृते सचिव।

<u>नत्थी–"क"</u>

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के अनुदान मांगों में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्याः-06, 08, 10, 14, 21, 23, 24, 30 तथा 31

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
(क) 1. श्री यशपाल आर्य, 2. श्री प्रीतम सिंह, 3. श्री हरीश सिंह धामी 4. श्री तिलकराज बेहड़, 5. श्री फुरकान अहमद, 6. श्रीमती ममता राकेश, 7. श्री मनोज तिवारी, 8. श्री आदेश सिंह चौहान, 9. श्री गोपाल सिंह राणा, 10. श्री विक्रम सिंह नेगी, 11. श्री भुवन चन्द्र कापड़ी, 12. श्री निजामुद्दीन 13. श्रीमती अनुपमा रावत, 14. श्री सुमित हृदयेश, 15. श्री खुशाल सिंह अधिकारी, 16. ई0 रवि बहादुर, 17. श्री विरेन्द्र जाति, 1. श्री लखपत बुटोला।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख) 1. श्री शहजाद	----तदैव---